समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

संख्याः–........................./टीचिंग/2020
दिनांकः–...........................

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1.समस्त संकायाध्यक्ष, कला विज्ञान,वाणिज्य, शिक्षा एवं विधि संकाय, ल0वि0वि0।
2.समस्त विभागाध्यक्ष, उपरोक्त संकाय।
3.समस्त समन्वयक/निदेशक, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम, ल0वि0वि0।

महोदय/महोदया,

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं0 टी/4258–4318 दिनॉक 18.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में विषय विशेषज्ञों /अतिथि प्रवक्ता से सम्बन्धित निर्देश निर्गत किया गया था।

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशानुसार अवगत कराना है कि जिन विभागों/पाठ्क्रमों में सत्र 2020–21 के लिये विषय विशेषज्ञों /अतिथि प्रवक्ताओं से अध्यापन कार्य कराये जाने की आवश्यकता है, उनका प्रस्ताव दिनॉक 15.06.2020 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें, जिस पर माननीय कुलपति जी का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। कुलपति महोदय के अनुमोदन/समुचित आदेश के पश्चात ही विषय विशेषज्ञ/अतिथि प्रवक्ता का नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

माननीय कुलपति जी के अनुमोदन/स्वीकृति के बिना यदि किसी विषय विशेषज्ञ/अतिथि प्रवक्ता से अध्यापन कार्य कराया जायेगा तो समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाघ्यक्ष/समन्वयक/निदेशक की होगी। विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी दशा में ऐसे अध्यापकों को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार अवगत होते हुए माननीय कुलपति जी से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डा0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांकः T/7923–26 दिनॉकः 22/05/2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति, सूचनार्थ माननीय कुलपति जी, ल0वि0वि0।
2. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
3. उप कुलसचिव (शिक्षण) ल0वि0वि0।
4. इन्चार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।

(डा0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव